



राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, आजमगढ़

यात्रिक भत्ते का पावना पत्र

बजट शीर्षक

बाउचर सं०

पैन नम्बर

1. नाम (स्पष्ट शब्दों में) :
2. पद एवं पता :
3. मूल वेतन :
4. यात्रा का उद्देश्य :
5. विद्यालय कार्य की तिथि :

यात्रा का विवरण						यात्रा का स्वरूप रेल या सड़क मार्ग तथा श्रेणी जिसमें यात्रा की गयी	वास्तविक रेल भाड़ा		आनुशांगिक व्यय दर			सड़क याता भत्ता		ठहरने का भत्ता		योग	
प्रस्थान			आगमन				राशि		किलोमीटर	राशि		किलोमीटर	राशि		दिन	राशि	
स्थान	तिथि	समय	स्थान	तिथि	समय		रु०	पै०		रु०	पै०		रु०	पै०		रु०	पै०

प्रमाणित किया जाता है कि इस पावना पत्र में जिस श्रेणी के भाड़े की मांग की गयी है, मैंने उसी श्रेणी में यात्रा की है और इस पावना पत्र जिस यात्रा का विवरण दिया गया है उसके लिए भाड़े में किसी प्रकार की छूट प्राप्त नहीं हुई थी एवं प्रमाणित किया गया है कि यह प्रथम पावना-पत्र है एवं इसके पूर्व इस निमित कोई धन आहरित नहीं किया गया है यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यात्रा सबसे कम दूरी वाले मार्ग से की गयी थी।

मैंने इस यात्रा देयक के मद में रु०..... प्राप्त किये।

हस्ताक्षर.....

एक रूपये का रसीदी टिकट यदि राशि 500 रु० से अधिक है।

प्रमाणित किया जाता है कि इन्होंने दिनांक/20..... को बैठक में भाग लिया / परीक्षा कार्य किया और यह उनका प्रथम देयक है।

जांच किया एवं यात्रिक पावना-भत्ता पंजिका में अंकित किया पृष्ठ सं०क्रम सं०

विभागाध्यक्ष/ अनुभागीय अधिकारी

लेखा सहायक/ लेखाकार

पूर्ण लेखा परीक्षण किया मात्र रु० का समायोजन किया जाय। रु० के भुगतान हेतु पारित किया।

रु० भुगतान किया जाय। वित्त एवं लेखाधिकारी चेक सं० दिनांक द्वारा रूपये का भुगतान किया गया।

लेखा सहायक

वित्त एवं लेखाधिकारी

लेखा सहायक

यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ सरकारी सेवक संघ अब नये वेतनमानों में वायुयान/रेल यात्रा करने हेतु निम्न प्रकार से प्राधिकृत है।

क्रम.सं.	वेतन सीमा	यात्रा की अधिकृत श्रेणी
1	2	3
1.	वेतन मान रू 67000 वार्षिक वेतन वृद्धि 03 प्रतिशत के दर से रू 79000 तथा एचएएजी व उससे अधिक वेतनमान	वायुयान का एक्जीक्यूटिव क्लास
2.	ग्रेड वेतन रू 10,000 तथा 8900	वायुयान अथवा रेल का वातानुकूलित कोच (प्रथम श्रेणी) अथवा शताब्दी एक्सप्रेस का एक्जीक्यूटिव क्लास
3.	ग्रेड वेतन रू 8700 तथा 7600	रेल का वातानुकूलित कोच (प्रथम श्रेणी) तथा 500 किमी० से अधिक की यात्रा पर वायुयान अथवा शताब्दी एक्सप्रेस का एक्जीक्यूटिव क्लास
4.	ग्रेड वेतन रू 6600 तथा 5400	रेल की प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित कोच (द्वितीय श्रेणी) 2-टियर अथवा शताब्दी एक्सप्रेस में वातानुकूलित चेंबर कार
5.	ग्रेड वेतन रू 4800, 4600 तथा 4200	रेल की प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित कोच 3- टियर/एणसी० चेंबरकार (शताब्दी एक्सप्रेस को छोड़कर)
6.	ग्रेड वेतन रू 4200 से कम	रेल का द्वितीय श्रेणी (स्लीपर)

2. अनुषांगिक व्यय

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम- 23 (1) अन्तर्गत सरकारी सेवकों को वर्तमान के अघार पर अनुमन्य अनुषांगिक व्यय से नये वेतनमान में निम्न प्रकार अनुमन्य होगा :-

क्रम सं०	वेतन सीमा	आनुषांगिक व्यय की दर
1.	ग्रेड वेतन रू 5400 व अधिक तथा उच्च वेतन मान	0.35 पैसे प्रति कि०मी०
2.	रू 4800, रू 4600, रू 4200 तथा रू 2800	0.25 पैसे प्रति कि०मी०
3.	रू 2800 से कम	0.15 पैसे प्रति कि०मी०

(2) हवाई यात्रा के दौरान आनुषांगिक व्यय की दरें रुपये 30 प्रति यात्रा की दर से अनुमन्य होगी

2. दैनिक भत्ता :-

(क) वित्तीय नियम संग्रह- 3 के नियम 23 (सी) के अधीन अनुमन्य दैनिक भत्ते की वर्तमान दरों के स्थान पर निम्नलिखित पुनरीक्षित दरें लागू होंगी :-

सरकारी सेवक का वर्ग	क वर्ग के नगरों के लिए दरें जिनमें नगर पालिकाएँ तथा कन्ट्रीमेंट और निकटवर्ती नोटिफाइड एरियाएँ जहाँ विद्यमान हो सम्मिलित होगी कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, मेरठ, नैनीताल, मंसुरी देहरादून और गाजियाबाद	ख वर्ग के नगरों के लिए दरें जिनमें नामस्थानिक नगर तथा कन्ट्रीमेंट और निकटवर्ती नोटिफाइड एरियाएँ जहाँ कहीं विद्यमान हों सम्मिलित होगी मुद्राबाद, अलीगढ़, झांसी, सहारनपुर, मथुरा, रामपुर, मिर्जापुर, शाहजहाँपुर हरिद्वार, फैजाबाद, फिरोजाबाद मुजफ्फरनगर और फरीदाबाद	साधारण दर (स्तम्भ-2,3 में उल्लिखित स्थानों से निम्न स्थानों के लिए)
1	2	3	4
रू 8700 तथा इससे अधिक ग्रेड वेतन एवं उच्च वेतन मान	465.00	375.00	300.00
रू 7600, रू 6600 तथा रू 5400	420.00	330.00	270.00
रू 4800 व रू 4600	360.00	285.00	240.00
रू 4200 तथा 2800	300.00	240.00	195.00
रू 2800 से कम	195.00	150.00	120.00

यात्राओं पर जाते समय तथा गन्तव्य स्थान से वापसी में निवास स्थान से बस स्टेशन/रेलवे स्टेशन के बीच की जाने वाले अल्प दूरी की यात्राओं के लिए समस्त सरकारी सेवकों को रू 4.00 प्रति कि०मी० के स्थान पर अब रू 10.00 प्रति कि०मी० की दर से सड़क मील भत्ता ग्राह होगा उक्त अल्प दूरिया की गणना पूर्ववत् वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-14 संपठित परिशिष्ट 5 के आधार पर ही की जाएगी। जनहित में की जाने वाली यात्राओं के सम्बन्ध में शासकीय सेवकों से यह भी अपेक्षित है कि वे टैक्सी इत्यादि के स्थान पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट (रेलगाड़ी या बस) का यथासम्भव अधिकाधिक प्रयोग करें।